झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
नवम् (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 02.08.2022 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री सरयु राय स0वि0स0	नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या- 1511, दिनांक- 29.04.2022 द्वारा राज्य में होल्डिंग टैक्स का पुर्ननिर्धारण भूसंपदा के सर्किल रेट के आधार पर किया गया है जिस कारण होल्डिंग टैक्स में भारी वृद्धि हो गई है। मात्र 5 वर्ष पूर्व 2016 में होल्डिंग टैक्स का निर्धारण हुआ था, जिसमें होल्डिंग टैक्स में 5 गुणा से 10 गुणा तक की वृद्धि हुई थी। सर्किल रेट के आधार पर होल्डिंग टैक्स का निर्धारण अव्यवहारिक है, इसका कोई औचित्य नहीं है और यह देश के विभिन्न राज्यों में होल्डिंग टैक्स निर्धारण की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं है। उपर्युक्त विवरण के आलोक में सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूँ कि सरकार होल्डिंग टैक्स संबंधी उपर्युक्त अधिसूचना वापस ले और जनहित में होल्डिंग टैक्स का तर्कसंगत निर्धारण करें।	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
02-	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह स0वि0स0 श्री रणधीर कुमार सिंह स0वि0स0	विदित् है कि राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को इस शर्त्त के साथ मान्यता देने का प्रावधान किया गया है कि वे शिक्षक और शिक्षकेत्तर कार्यों के लिए की जाने वाली नियुक्तियों में उन सभी शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन करेंगें जो राज्य सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में इस प्रकार की नियुक्तियों के लिए निर्धारित की गई है अन्यथा उनकी मान्यता समाप्त करने के साथ-साथ वेतनादि का भुगतान बंद कर दिया जाएगा। विदित हो कि केवल राँची के ही अल्पसंख्यक स्कूल यथा एस0पी0जी0 बालक मध्य विद्यालय, डोरंडा, बेथेसदा बालिका मध्य विद्यालय, चर्च रोड, राँची, निर्मला मध्य विद्यालय, सामलौंग, एस0पी0जी0 मध्य विद्यालय, चुड़ी टोला, कांके, संत अलोईस मध्य विद्यालय, पुरूलिया रोड, राँची, बी0एस0भी0 मध्य विद्यालय, निवारणपुर, राँची में इस वर्ष राज्य सरकार के नियमों के विपरित अवैध तरीके से नियुक्तियाँ क्रमशः की गई है एवं प्रक्रिया जारी है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इनके प्रबंधन तथा इस कार्य में संलिप्त अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जाँचोपरांत कार्रवाई की मांग करता हूँ।	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
03-	डॉ0 सरफराज अहमद स0वि0स0	भारत सरकार के पत्र दिनांक- 03.08.2017 के अनुसार शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की कंडिका 23 (2) के आलोक में सभी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी निजी विद्यालयों के अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च, 2019 तक अनिवार्य रूप से प्रशिक्षित होना है। साथ ही जिन शिक्षकों के पास शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत् न्यूनतम अनिवार्य योग्यता नहीं होगी उन्हें 01 अप्रैल, 2019 के बाद सेवा में नहीं रखा जायगा। भारत सरकार के उक्त पत्र की कंडिका (xiv) के अनुसार वैसे शिक्षकों जिन्होंने कक्षा 12 से 50 प्रतिशत अंक पत्र नहीं किए हैं जिन्होंने NIOS द्वारा डी0एल0एड0 उत्तीर्णता का प्रमाण	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

क्र0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		पत्र निर्गत नहीं किया जायगा। ऐसी स्थिति में राज्य के करीब 3000 कार्यरत अप्रशिक्षित पारा शिक्षकों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में शिक्षा अधिकार (संशोधित) अधिनियम-2017 के आलोक में शिक्षकों का नियोजन करने हेतु मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	
04-	श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी स०वि०स०	गढ़वा जिला के कांण्डी प्रखण्ड अन्तर्गत सतबहिनी झरना स्थल है जो सरकार द्वारा पर्यटन स्थल की घोषणा हो चुकी है तथा सरकार द्वारा विकास का कार्य भी हुआ है। उक्त झरना स्थल 24 चौबीस एकड़ में स्थित है, तथा हजारो जनता प्रतिदिन भ्रमण करती है। उक्त स्थल का पर्यटक विभाग द्वारा एक तरफ से चाहरदिवारी सुरक्षा हेतु निर्माण किया गया है, शेष तीन तरफ का प्रस्ताव उपायुक्त सह- अध्यक्ष पर्यटन सवंधन समिति जिलस्तरीय द्वारा भेज दिया गया है। दिनांक- 09.12.2021 को समिति द्वारा पास है तथा प्राक्कलन तीन तरफ चाहरदिवारी का तैयार कर के भी भेज दिया गया जो संलग्न है। अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि सुरक्षा हेतु लोकहित में तीन तरफ से चाहरदिवारी का निर्माण करावें।	पर्यटन, कला संस्कृति खेल-कूद एवं युवा कार्य
05-	सुश्री अम्बा प्रसाद स०वि०स०	वर्त्तमान में हजारीबाग जिला सहित पूरे झारखंड में कोल कंपनियां खनन का कार्य कर रही हैं तथा CB Act एवं LA Act 1894 के तहत् मुआवजा इत्यादि दे रही है, परन्तु भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 लागू करने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप कार्य नहीं किया जा रहा है। बड़कागाँव प्रखंड के गोंदलपुरा पंचायत में अडानी कंपनी के द्वारा	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
		स्थानीय ग्रामीणों की भूमि को जबरदस्ती अधिग्रहित करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि उक्त क्षेत्र के ग्रामीण वर्ष 2004 से ही खनन कार्य का विरोध करते आ रहे हैं। ज्ञात हो कि उक्त क्षेत्र की जमीन बहुफसली भूमि है एवं निवास करने वाले लोग पूर्णता खेती पर ही निर्भर हैं। गैरमजरूआ खास भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं करने को लेकर कंपनी की नीति का भी ग्रामीण भारी विरोध कर रहे हैं। अतः मैं बड़कागांव प्रखंड अन्तर्गत गोंदलपुरा पंचायत में अडानी कंपनी द्वारा बगैर स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के भूमि अधिग्रहण और खनन कार्य बंद कराने हेतु सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	

राँची,
दिनांक- 02 अगस्त, 2022 ई०।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-39/2022-2048/वि० स०, राँची, दिनांक- 01/08/22

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा०सदस्यगण/ मा०मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग एवं सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01.08.22
(रामअशीष यादव)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं०-प्र०ध्या०-39/2022-2048/वि० स०, राँची, दिनांक- 01/08/22

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा० अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

01.08.22
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

01/08/22